न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–296/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00229)

1. भूरा पुत्र सूवा जाति जाट, निवासी ग्राम नोल्या, तहसील दूदू, जिला जयपुर।
2. आमिन पुत्र सवाई खॉ,
3. हकीम पुत्र सवाई खॉ,
4. इलियास पुत्र चॉद खॉ नाबालिक जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती जन्नत पत्नी चॉद खॉ, जाति मुसलमान 2 से 4 निवासी ग्राम नोल्या, तहसील दूदू, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1 छीतर पुत्र नारायण जाति जाट, निवासी ग्राम नौल्या, तहसील दूदू, जिला जयपुर।
2. तहसीलदार तहसील दूदू, जिला जयपुर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 04.09.2018

अपीलार्थी द्वारा यह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू के आदेश दिनांक 26.07.2017 (प्रकरण संख्या 125/2015) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी दूदू के द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2017 न्याय नियम व रिकार्ड के प्रतिकूल होने के कारण निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 136 के प्रावधानों को सही रूप से देखे बिना ही सरसरी तौर पर बिना किसी आधार के उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त करने में कानूनी प्रावधानों की अनदेखी कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया कि धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत तरमीम व दुरूस्ती की कार्यवाही का प्रावधान प्रावधित किया गया है जिस पर न्यायालय द्वारा रिकार्ड व जॉच रिपोर्ट प्राप्त करके दुरूस्ती का आदेश पारित कर सकता है, मौजूदा प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के सरसरी तौर पर प्रकरण को धारा 136 भू राजस्व अधिनियम की परास में नही आना मानते हुये खारिज किया है, उक्त आदेश में न्यायालय द्वारा किसी भी कारण कोई उल्लेख नही कर केवल सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि के प्रावधानों के विपरित होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात की अनदेखी की है कि अपीलान्ट के द्वारा हाल नक्शा ट्रेस जो कि वर्तमान सेटलमेन्ट की कार्यवाही में जारी किया गया उसमें व साबिक नक्शा ट्रेस में काफी अन्तर होने व अपीलान्ट के भूमि व कुँऐ की स्थिति में परिवर्तन होने व कुँए को

P.T.O.

संभागीय आयुक्त

अप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर 460 में दर्शाया जाने को दुरूस्त करने के लिये प्रार्थना पत्र तरमीम पेश किया गया था, नक्शें में रिकार्ड के मुताबिक पुरानी व नयी वर्तमान शीट में परिवर्तन होना अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार द्वारा अपने जवाब में यह अंकित किया गया व उक्त स्वीकृत तथ्य जिसमें कि तहसीलदार ने यह पाया कि साबिक खसरा नम्बर के नक्शा लट्ठे से वर्तमान नक्शाशीट से मिलान करवाया गया, पुरानी शीट व नयी शीट इम्पोज करने पर खसरा नम्बरों की स्थिति में सभी मेडों में परिवर्तन होना पाया, वादी व प्रतिवादी के मध्यवर्ती मेंड पर नक्शा इम्पोज करने पर खसरा नम्बर 448, 449, 454 का हिस्सा ग्राम गेजी की सीमा में प्रवेश करता है तथा प्रश्नगत खसरा नम्बर 463 में होता है, ग्राम गेजी की सीमा से नक्शा इम्पोज करने पर ग्राम के सभी खसरा नम्बरों की सीमाऐं प्रभावित होती है व विवादित चाह वर्तमान खसरा नम्बर 460 मे प्रदर्शित होता है, रिकार्ड के मुताबिक पुरानी व नयी नक्शाशीटों का मिलान करने पर स्थिति त्रुटिपूर्ण होन से वास्तविक स्थिति अवगत होना संभव नही है, उक्त स्वीकृति तथ्य से स्पष्ट रूप से यह साबिक होता है कि वर्तमान नक्शा ट्रेस व साबिक नक्शा ट्रेस में भिन्नता स्पष्ट रूप से दर्शित होना साबित है और तहसीलदार मे द्वारा प्रस्तुत जवाब में इस बात की पुष्टि होती है, कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब के कथनों पर सही रूप से देखे बिना व उन पर सही रूप से विचार किये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये आदेश में यह माना है कि धारा 136 भू राजस्व अधिनियम में केवल लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त किया जा सकता है जबकि मौजूदा प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा सेटलमेन्ट के पश्चात् जारी हाल नक्शें में दुरूस्ती के लिये व साबिक नक्शे के अनुसार दुरूस्ती को यथावत रखने के लिये हाल नक्शा ट्रेस में हुयी त्रुटि को दुरूस्ती की प्रार्थना अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की गई थी, जो कि लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी में ही आता है व उपखण्ड अधिकारी ने प्रकरण को धारा 136 भू राजस्व अधिनियम की परिधि में नही आना मानकर प्रार्थना पत्र दुरूस्ती इन्द्राज निरस्त किया है जबकि राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित न्यायिक दुष्ठान्त में यह माना है कि नक्शे में दुरूस्ती के लिये धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही को किया जाना समुचित माना गया है लेकिन उपखण्ड अधिकारी दूदू ने सही रूप से कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करते हुये सरसरी तौर पर ही प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने के अपीलाधीन आदेश पारित किये है जो कि विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायलाय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में यह माना गया है कि धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधान मोजूदा प्रकरण में लागू नही होते है व राजस्व नक्शें मे त्रुटि का सुधार धारा 136 भू राजस्व अधिनियम की परिधि में नही आना मानते हुये मौजूदा प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है जबकि न्यायालय ने आदेश पारित करने के पूर्व यह अंकित नही किया प्रार्थना पत्र किस प्रकार धारा 136 भू राजस्व अधिनियम की पारिस में नही आता है इसकें कारण विस्तृत रूप से उनके द्वारा पारित आदेश में अंकित नही किया गया केवल सरसरी तौर पर

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

यह मानते हुये कि प्रकरण धारा 136 भू राजस्व अधिनियम की परास में नही आना मानते हुये अपीलाधीन आदेश पारित करने में भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2017 को निरस्त किये जाने की आज्ञा पारित की जावें व अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम की सुनवाई विस्तृत रूप से विधि के प्रावधान के अनुसार किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर ने दावा संख्या 18/2008 बाबत इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा बउनवानी भूरा व सूरजकरण बनाम छीतर व तहसीलदार मौजमाबाद में दिनांक 15.03.2010 को निर्णय पारित कर वाद वादी खारिज कर दिया था, उपरोक्त वाद में कायम किये गये विवाधक वही थे जो हस्तगत अपील के मामले में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उठाये गये थे, इस प्रकार अधीनस्थ के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 22.12.2015 को पेश किया गया प्रार्थना पत्र उपरोक्त निर्णय दिनांक 15.03.2010 की रोशनी में रेसज्युडीकेटा का प्रभाव रखता है, इसलिये प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम को आक्षेपित आदेश दिनांक 26.07.2017 के द्वारा खारिज कर कोई कानूनी त्रुटि नही की गई है। उन्होने कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार मौजमाबाद के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर के समक्ष पेश किया गया था जो प्रकरण संख्या 61/2009 के रूप में पंजीबद्ध किया गया था जिसमें इस आशय के तथ्य उल्लेखित किये गये थे कि वह अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 445 लगायत 456, 459 लगायत 462, 476 लगायत 485 कुल किता 21 कुल रकबा 9.74 हैक्टयर के पत्थरगढी करवाना चाहता है जिसका सीमाज्ञान दिनांक 11.06.2009 को हो चुका है, उपरोक्त न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र अपने निर्णय दिनांक 18.02.2015 के द्वारा स्वीकार कर लिया जिसकी पालना में दिनांक 21.12.2015 को जरिये फर्द मौका पत्थरगढी राजस्व अधिकारियो ने मौके पर जाकर पत्थरगढी करवा दी थी जिसमें मौके का विवाद समाप्त हो गया था, ग्राम नोल्या तहसीलदार मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 431, 433 लगायत 435, 440 लगायत 444, 463, 472 कुल किता 11 कुल रकबा 3.37 हैक्टयर के हिस्सा 1/2 की खातेदारी सूरजकरण पुत्र सुवा जाट के नाम से दर्ज थी जिसने अपना उपरोक्त हिस्सा 1/2 प्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 को जरिये विक्रय पत्र दिनाक 20.05.2011 को विक्रीत करा दिया था, उपरोक्त विक्रय पत्र दिनांक 20.05.2011 को उप पंजीयक दूदू द्वारा पंजीकृत किया गया था जिसके आधार प्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 को खातेदारी प्राप्त हुई थी एवं उपरोक्त खरीदशुदा भूमि में खसरा नम्बर 461 व 462 शामिल नही है ऐसी सूरत में उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 460 व 461 के सम्बन्ध में विवादित संस्थित करने का अधिकर प्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 को नही है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख पर उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए ही अपीलाधीन न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

किया गया है, जो विधि सम्मत है व इसके विरूद्ध प्रस्तुत की गई हस्तगत अपील खारिज किये जाने योग्य है तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 26.07.2017 की पुष्टि किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज फरमाई जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2017 की पुष्टि की जावे।

हमने पत्रावली एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों को अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन पर जाहिर होता है कि प्रथम तो आराजी का नक्शा भी राजस्व रिकार्ड का ही एक भाग है जिसकी दुरूस्ती हेतु भू राजस्व अधिनियम 1936 की धारा 136 में प्रावधान प्रावधित है, द्वितीय तहसीलदार दूदू द्वारा पत्रांक 1820 दिनांक 05.07.2017 द्वारा वादग्रस्त आराजी के साबिक खसरा नम्बरों के नक्शा लट्ठा से वर्तमान शीट का मिलान व पुरानी शीट पर नई शीट इम्पोज करने पर खसरा नम्बरों की स्थिति में लगभग सभी मेड़ों में परिवर्तन पाया गया है, तथा उभयपक्ष की मध्यवर्ती मेड़ पर नक्शा इम्पोज करने पर खसरा नम्बर 448, 449, 454 का हिस्सा ग्राम गैजी की सीमा में प्रवेश करता है तथा प्रश्नगत चाह खसरा नम्बर 463 में प्रदर्शित होता है एवं ग्राम गैजी की सीमा से नक्शा इम्पोज करने पर ग्राम के लगभग सभी खसरों की सीमाऐं प्रभावित होती है व विवादित चाह वर्तमान खसरा नम्बर 460 में प्रदर्शित होता है, रिकार्ड मुताबिक पुरानी व नई नक्शा शीटों का मिलान करने पर स्थिति त्रुटिपूर्ण होने पर से वास्तविक स्थित अवगत होना संभव नही है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को तहसीलदार से विस्तृत जॉच करवाकर एवं भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के प्रावधानों के अनुरूप आदेश पारित करना चाहिये था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.07.2017 पारित किया गया है, जिसे काननून उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.07.2017 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए व तहसीलदार से प्रकरण में विस्तृत जांच रिपोर्ट तलबी की जाकर पुनः विस्तृत निर्णय पारित करें।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।